न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)

प्रकरण सं0 : 273/2018 अन्तर्गत धारा 136, 125 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वालजी पिता राजेंग भील निवासी बदुपाड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा(राज)

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक : 03.01.2019

प्रार्थी वालजी पिता राजेंग भील निवासी बदुपाड़ा तहसील कुशलगढ़ ने ग्राम बदुपाड़ा में स्थित कृषि भूमि के खाता सं0 68 खसरा नम्बर 309/233 रकबा 4.00 एकड़ में दर्ज पिता के नाम को शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी को आवंटन होने से प्राप्त हुई है, वक्त आवंटन प्रार्थी का नाम वालजी पिता रामा दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक पिता का नाम राजेंग है, जिसे प्रार्थी अनपढ़ व अशिक्षित होने से अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र तैयार किया गया है, जिसमें राजेंग के बजाय रामा दर्ज किया है। जो तब से लेकर अब तक वालजी पिता रामा ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूल से वालजी पिता रामा हो गया है। प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, रोजगार गारंटी कार्ड आदि में वालजी पिता राजेंग अंकित है। प्रार्थी के नाम ग्राम बदुपाड़ा में खाता सं0 69 रकबा 4.15 एकड़ संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें भी प्रार्थी का नाम वालजी पिता राजेंग ही दर्ज है। प्रार्थी का नाम खाता सं0 68 में लिपिकीय भूल से वालजी पिता राजेंग की बजाय वालजी पिता रामा दर्ज हो गया है, जो शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः वाद चरण सं0 1 से 3 में बताई गई कृषि भूमि में वादी प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में वालजी पिता रामा सहवन से दर्ज हो गया है, जिसे हटाकर वालजी पिता राजेंग शुद्धि हेतु आदेश तहसीलदार कुशलगढ़ को दिये जावे।

तहसीलदार कुशलगढ़ ने प्रकरण में जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बदुपाड़ा की कृषि भूमि खाता सं0 68 खसरा नम्बर 309/233 रकबा 4.00 एकड़ में वालजी पिता रामा के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड नामान्तरकरण सं0 54 दिनांक 22.11.1978 अनुसार प्रार्थी वालजी को प्रश्नगत भूमि आवंटित होकर गैरखातेदारी में दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण में वालजी पिता रामसिंग भील अंकित है। जमाबन्दी सं0 2041–44 तथा जमाबन्दी सं0 2045–48 में भी वालजी पिता रामसिंग भील ही दर्ज है। जमाबन्दी सं0 2049–52 में वालजी पिता रामा दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी में यथावत दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण सं0 132 दिनांक 15.12.1988 को प्राप्त हुए। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वालजी के एक भाई का नाम रामा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, बैक ऑफ बडौदा की खाता पासबुक में वालजी पिता राजेंग भील दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बडीसरवा ने भी सही नाम वालजी पिता राजेंग की पुष्टि की है। अतः ग्राम बदुपाड़ा की कृषि भूमि खाता सं0 68 खसरा नम्बर 309/233 रकबा 4.00 एकड़ में वालजी पिता रामा के बजाय वालजी पिता राजेंग शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अभिलेख एवं पहचान पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार कुशलगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाव का अवलोकन किया गया। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम बदुपाडा तहसील कुशलगढ़ की कृषि भूमि खाता संख्या 68 खसरा नम्बर 309/233 रकबा 4.00 एकड़ में दर्ज वालजी पिता रामा के बजाय वालजी पिता राजेंग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुशलगढ़ को प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

(सुमन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी